तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 20/9/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
20/9/24	पत्राव[illegible] पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन[illegible] कार्य से व्यस्त होने से [illegible] पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 23/9/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
23/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 25/9/24 को पेश हो। Vivek हस्ताक्षर रीडर
25-09-24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 26/09/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
26/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण दावा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई

जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई

उनवान– ओमप्रकाश बनाम ग्राम प. श्यालावास कलां वगै.

दावा बाबत– इस्तकाराहक व दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत

मु.न. 169/2022 दायर दिनांक 10.06.2022

आदेश है कि वादी वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा इस्तकाराहक व दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89, व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बाबत हाल आराजी ख०नं0 453/0.10 ग्राम बाढ़ बगीची बॉदीकुई का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत्.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 09 सन् 2024 को जारी की गई।

26/9/24

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उप जिला कलक्टर
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.....

ओहदा.....

26/9/24

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा।
मु.न. 169/2022
दायर दिनांक 10.06.2022
निर्णय दिनांक 26.9.2024

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र पाँचू जाति माली निवासी बाड बगीची बॉदीकुई तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा

वादी.....।

बनाम

1. ग्राम पंचायत श्यालावास कला पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा जरिये सरपंच
2. सचिव, ग्राम पंचायत श्यालावास कला पंचायत समिति बॉदीकुई जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर दौसा
4. तहसीलदार साहब बसवा जिला दौसा

प्रतिवादीगण.....।

दावा इस्तकाराहक व दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत

निर्णय

दिनांक 26.09.2024

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा अन्तर्गत धारा 88,89, व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बाबत न्यायालय हाजा में पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी हाल आराजी ख०नं0 453/0.10 ग्राम बाढ़ बगीची बॉदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है। उपरोक्त आराजी का गत खसरा नं0 128/1 रकबा 4 बीस्वा वाके ग्राम बाढ बगीची बॉदीकुई तहसील बसवा था। उपरोक्त आराजी वादी के कब्जेकाश्त की आराजी है जो वादी को पैतिक विरासत में मिली है। जिस पर वादी बुजुर्गों के समय से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। और भाई बटवारे मे उक्त भूमि वादी के हिस्से में व कब्जे में आई है। ग्राम बाढ बगीची का बन्दोबस्त सम्वत् 2052 से 2071 में लागू हुआ है। वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। और विवादित आराजी शुरू से वादी के कब्जे में चली आ रही है जो साबिक जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2036 वादी के पूर्वजो के नाम खातेदारी मे दर्ज है। और उसी हिसाब से वादी काबिज चला आ रहा है। मगर ग्राम बाढ बगीची का मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2052 लगा0 2071 में हुआ तो बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड व मौके के खिलाफ जाकर विवादित आराजी को गलत तरीके से गै०मु० आबादी होना दर्ज कर दी। जबकि मौके पर कोई आबादी भूमि नही है। बल्कि आराजी शुरू से काबिल काश्त है। और कृषि पैदावर रखने के व कृर्षि कार्य करने के लिये भूमि का उपयोग हो रहा है। और उसे गलत तरीके से सिवायचक खाते में दर्ज कर दी। जबकि बन्दोबस्त विभाग को किसी भी प्रकार का कानूनन कोई अधिकार नही है कि वे एक पक्षकार की खातेदारी की आराजी को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उसकी खातेदारी मे से हटाकर अन्य किसी की खातेदारी में दर्ज करे। इस प्रकार से बन्दोबस्त विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जो कार्य किया है उसे न्यायहित मे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। वादी ने इस बारे में जिला कलैक्टर महोदय, दौसा व तहसीलदार बसवा व रिकार्ड मे आबादी दर्ज करने की वजह से ग्राम पंचायत श्यालावास के सरपंच व सचिव को भी विधिक नोटिस धारा 109 राजस्थान पंचायत एक्ट के तहत दिया गया व इसी प्रकार धारा 80 सीपीसी० का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को दिया गया और नोटिस देकर ये निवेदन किया गया कि नोटिस प्राप्त होते ही 60 दिवस के अन्दर आप मेरे पक्षकार की आराजी को दुरूस्त करदे और मेरे पक्षकार को जबरन बेदखल करने की कार्यवाही न करे इन सब बातो के होने के बावजूद प्रतिवादीगण ने न तो नोटिस का कोई जबाव दिया न कोई आगे कोई कार्यवाही की इसलिये मजबूरन वादी को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु दावा इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। जिससे वादी के साथ न्याय हो सके व वादी के हक व अधिकार की रक्षा हो सके। इसलिये दावा इस्तकरारहक का विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण विवादित्त आराजी में अपना हक वो अधिकार होना जाहिर करते हुये अपने आपको खातेदार होना जाहिर करते है और वादी को जबरन बेदखल करके कब्जा करना चाहते है और वादी के कार्यकाश्त करने में रूकावट वो मजाहगत करते है। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो वादी को न पूर्ति होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से वादी को भविष्य मे नहीं कराई जा सकेगी। इसलिये दावा स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.05.2022 को वादी को जबरन बेदखल करने का इरादा जाहिर किया और वादी के कार्यकास्त करने में रूकावट करने का इरादा जाहिर किया। इसलिये वादी को दावे के लिये विनायदावी नोटिस देने दिनांक 2/3/22 से व ईरादा जाहिर करने से पैदा हुई जिससे वादी का वाद विनायदावी से अन्दर मियाद पेश है। विवादित आराजी वाके ग्राम बाढ बगीची बॉदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जिसके बारे में दुरूस्ती का दावा सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को है। दावे पर कोर्ट फीस व तलवाना फीस नियमानुसार चस्पा है। तहकीकात फरमाई जाकर बादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार चिकी किया जाये। क. वादी का वाद इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज का हाल आराजी ख०नं० 453/0.10 वाके ग्राग बाढ़ बगीची बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण की खातेदार को हजफ किया जाकर व गै०मु० आबादी को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार करार दिया जावे व इसी प्रकार आगे पिछे सभी जमाबंदियो मे वादी के खातेदारी के नाम का इन्द्राज किया जावे।

वादी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आराजी ख0नं0 543/0.10 वाके ग्राम बाढ बगीची बांदीकुई तहसील बसवां से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की व वादी के साथ कार्यकाश्त करने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करे न बन्दोबस्त के गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी अन्य लोगो को आवंटित न करे और रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रहने देवे।

Scanned with OKEN Scanner

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बावजुद रजिस्टर्ड समन तलबी के अदालत हाजा में उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण की दिनांक 26.09.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली वादी साक्ष्य पर नियत की गई वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र ओम प्रकाश पुत्र पांचूराम, का पेश किया गया। साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस पर नियत की गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान वादी पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क किया है कि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी हाल आराजी ख०नं0 453/0.10 ग्राम बाढ बगीची बॉदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी का गत खसरा नं0 128/1 रकबा 4 बीस्वा वाके ग्राम बाढ बगीची बॉदीकुई तहसील बसवा था। उक्त आराजी वादी के कब्ज काश्त की आराजी है जो वादी को पैतृक विरासत में मिली है। जिस पर वादी बुजुर्गों के समय से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। और भाई बटवारे मे उक्त भूमि वादी के हिस्से में व कब्जे में आई है। ग्राम बाढ बगीची का बन्दोबस्त सम्वत् 2052 से 2071 में लागू हुआ है। वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। और विवादित आराजी शुरू से वादी के कब्जे में चली आ रही है जो साबिक जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2036 वादी के पूर्वजो के नाम खातेदारी मे दर्ज है। और उसी हिसाब से वादी काबिज चला आ रहा है। मगर ग्राम बाढ बगीची का मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2052 लगा0 2071 में हुआ तो बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने रिकार्ड व मौके के खिलाफ जाकर विवादित आराजी को गलत तरीके से गै०मु० आबादी होना दर्ज कर दी। जबकि मौके पर कोई आबादी भूमि नही है। बल्कि आराजी शुरू से काबिल काश्त है। और कृषि पैदावर रखने के व कृर्षि कार्य करने के लिये भूमि का उपयोग हो रहा है। और उसे गलत तरीके से सिवायचक खाते में दर्ज कर दी। जबकि बन्दोबस्त विभाग को किसी भी प्रकार का कानूनन कोई अधिकार नही है कि वे एक पक्षकार की खातेदारी की आराजी को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उसकी खातेदारी मे से हटाकर अन्य किसी की खातेदारी में दर्ज करे। इस प्रकार से बन्दोबस्त विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जो कार्य किया है उसे न्यायहित मे दुरुस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। बहस के दौरान न्यायिक दृष्टयान्त राजस्थान हाई कोर्ट निर्णय दिनांक 6.01.2022 एसबी सिविल रिट 3474 ऑफ 2002 मोटाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेश करते हुये दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया है।

न्यायालय द्वारा बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वाद का जवाब पेश नही हुआ इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम नही हुई है।

प्रकरण में वादी का मूल कथन है कि वादी का वाद इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज का हाल आराजी ख०नं० 453/0.10 वाके ग्राग बाढ बगीची बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण की खातेदार को हजफ किया जाकर व गै०मु० आबादी को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार करार दिया जावे व इसी प्रकार आगे पिछे सभी जमाबंदियो मे वादी के खातेदारी के नाम का इन्द्राज किया जावे। उक्त कथन को साबित करने हेतु वादी द्वारा प्रदर्श 1 जरिये वकील ग्राम पंचायत को दिया गया नोटस, प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052–2071, प्रदर्श 3 ग्राम बाढ बगीची खाता संख्या नया 159 पुराना 1 पेश की है जिसकी खातेदारी ग्राम पंचायत के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रदर्श 4 नकल जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 पेश की है जिसमें खातेदार गणेश माली बाढ श्यालावास दर्ज है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण द्वारा वाद का जवाब पेश नही करने से वाद पत्र का खण्डन नही किया गया है। प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052 से 71 के अनुसार खसरा नम्बर 128/1 के नये नम्बर 453 बने है। प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 में खसरा नम्बर 128/1 किस्म गै.मु. आबादी/ चाही 3 है जो गणेश माली का नाम कृषक विवरण में दर्ज है। वादी उक्त प्रदर्श 4 के आधार पर खसरा नम्बर 453 की खातेदारी अपने नाम एवं खसरा नम्बर 453 की किस्म परिवर्तीत करवाना चाहता है। प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 में खसरा नम्बर 128/1 किस्म गै.मु. आबादी/ चाही 3 दर्ज उक्त प्रदर्श के अनुसार भूमि खसरा नबर 453 शुरू से ही गै0मु. आबादी है। परन्तु सवाल यहां यह भी है कि खसरा नम्बर 128/1 की खातेदारी गणेश के नाम थी किस प्रकार ग्राम पंचायत के के नाम हुई है। इस संबंध मे वादी द्वारा संवत 2012–2015 के बाद के कोई दस्तावेज/राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है। जिससे यह साबित नही होता है कि जिससे यह सावित नही होता है कि उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी बन्दोबस्त विभाग द्वारा गै0मु. आबादी दर्ज कर दी गई हो। दस्तावेजात के अभाव में वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहे है। राजस्व वादो का निर्णय दस्तावेजात एवं साक्ष्यो के आधार पर किया जाता है वादी द्वारा पूर्ण दस्तावेजात पेश नही किये गये है। इसलिये वादी द्वारा पेश दावा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा इस्तकाराहक व दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89, व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बाबत हाल आराजी ख०नं0 453/0.10 ग्राम बाढ़ बगीची बॉदीकुई का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 26.09.2024 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

26/9/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner